

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।

( E-mail: [sikrahnamotihari2015@gmail.com](mailto:sikrahnamotihari2015@gmail.com))


कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या:— 02 / 2026—27  
भाड़े पर वाहन रखने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी के अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल 01,02,03,04 एवं 05 मोतिहारी के लिए योजनाओं के अनुश्रवण एवं तटबंध निरीक्षण इत्यादि कार्य हेतु वाहन बोलेरो / बेलोरो एन चालक सहित माह मई 2026 से माह मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने का प्रस्ताव है। जो निम्नप्रकार है। दिनांक 20.05.2026 से 31.05.2026 तक एवं 01.11.2026 से दिनांक 20.03.2027 तक तीन अदद तथा दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 31.10.2026 तक पाँच अदद हेतु कोटेशन आमंत्रण किया जाता है। वाहन के इच्छुक मालिकों / ट्रेमल एजेण्टों से मुहरबंद लिफाफा में वर्णित वाहन का भाड़े का दर हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम	कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी
2	कोटेशन जमा करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी का कार्यालय (कार्यालय अवधि तक)।
3	कोटेशन जमा करने की तिथि	दिनांक 18.05.2026 से 19.05.2026 तक समय 3.00 बजे अपराह्न तक।
4	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.05.2026 के 3.30 बजे अपराह्न।


नियम एवं शर्तें

1. वाहन के साथ अनुज्ञप्तिधारी चालक वाहन मालिक को उपलब्ध कराना होगा।
2. चालक का वेतन एवं वाहन का रख-रखाव वाहन मालिक को करना होगा।
3. कोटेशन के साथ व्यवसायिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, जी० एस० टी० एवं निरीक्षण यान पदाधिकारी के द्वारा निर्गत फिटनेस प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कोटेशन स्वीकार होने पर वाहन मालिक को ₹0-1000.00 (एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा। वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक / फार्म आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा की वह तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।
5. वाहन की चोरी अथवा दुर्घटना आदि की सारी जवाबदेही वाहन मालिक / फार्म की होगी।
6. जिला प्रशासन पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के द्वारा बोलेरो/बोलेरो एन के निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा। वाहन न्यूनतम ए० सी० सहित 10.00 कि० मी० प्रति लिटर मान्य होगा। एवं गाड़ी का संचालन ईंधन सहित किया जिला पदाधिकारी मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 51 दिनांक 30.08.2025 के निर्धारित दर ₹0 36000.00 प्रति माह भुगतान किया जायेगा।
7. आवंटन उपलब्ध होने उपरान्त ही लॉग-बुक के आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
8. कोटेशन के सदर्थ में अंतिम निर्णय लेने एवं बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा। एक से अधिक समान्य न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर लॉट्री के माध्यम से चयन होगा।
10. दो वर्षों के अनुभव रखने वाले वाहन मालिक / फार्म को तथा नई मोडल की वाहन की प्राथमिकता दी जायेगी।
11. लॉग-बुक का संधारण संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।



कार्यपालक अभियंता,

सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।




पत्रांक.....681

मोतिहारी,


दिनांक 04-05/2026

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना  
को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ समर्पित।

  
04/5/26

कार्यपालक अभियंता

सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।

  
4.5.26